न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2487–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–6–13 पारित द्वारा तहसीलदार बैतूल, प्रकरण कमांक 84/अ–12/12–13.

अरविन्द वल्द शंकरलाल मालवीय
निवासी खंजनपुर, तहसील व जिला बैतूल

.....आवेदक

विरूद्ध

1 ललिता बेवा परसराम मालवीय,
2 राकेश वल्द परसराम मालवीय,
3 मुकेश वल्द परसराम मालवीय,
4 नितेश वल्द परसराम मालवीय
समस्त निवासीगण मालवीय वार्ड,
खंजनपुर, तहसील व जिला बैतूल

.....अनावेदकगण

श्री आर0के0 जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रेम सिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 8/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–6–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 ललिता द्वारा तहसीलार बैतूल के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम खंजनपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 5/2 रकबा 2.324 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 84/अ–12/12–13 दर्ज कर, प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन, कराया जाकर, दिनांक 10–6–13 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:–

1. उभय पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और आवेदक के स्वत्व स्वामित्व की भूमि ग्राम खंजनपुर स्थित सर्वे कमांक 5/1 रकबा 2.324 हैक्टेयर एवं अनावेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 5/2 रकबा 2.324 हैक्टेयर है । उक्त भूमियों का उभय पक्ष के वर्ष 1976 में बटवारा हो चुका है तथा वे अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं।
2. राजस्व निरीक्षक बैतूल द्वारा दिनांक 31–5–13 को विधि का पालन किये बिना विधि विपरीत तरीके से अनावेदकगण से सांठ–गांठ करके निश्चित सीमा चिन्ह व चांदों को देखे बिना सीमांकन कर आवेदक के कब्जे में निरंतर चली आ रही भूमि को अनावेदकगण की भूमि बताकर अवैध कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया हैं, जो निरस्ती योग्य है।
3. आवेदक द्वारा सीमांकन दिनांक 31–5–13 को आवेदक ने स्वयं उपस्थित होकर दोषपूर्ण सीमांकन के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की थी, जिसका निराकरण राजस्व निरीक्षक द्वारा नहीं किया गया है।
4. मौके पर फील्ड बुक व नक्शा नहीं बनाया गया है और न ही सीमांकन सामग्रियों का उपयाग किया गया है।
5. चादें या स्थाई सीमां चिन्हों से नप्ती न कर बंदोवस्त मेड़ से सीमांकन किया गया है, जबकि बंदोवस्त मेड़ सही या नहीं इसकी नाप किये बगैर सीमांकन किया गया है ।

6. राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमा चांदों के स्थानों को टोटल मशीन द्वारा नहीं किया गया है और चांदा पत्थरों के स्थानों की तलाश नहीं की गई है। मौका स्थिति चांदों के स्थान उपलब्ध या अनुपलब्ध होने का पंचनामा या प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:--

1. सीमांकन प्रकरण के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदकगण की भूमि का सीमांकन करने से पूर्व सभी पड़ोसी काश्तकारों को नियमानुसार सूचना पत्र दिये जाने के उपरांत ही मौके पर सीमांकन कार्यवाही की गई थी । सीमांकन के समय सभी पड़ोसी काश्तकारों सहित आवेदक एवं उसका भाई मौके पर उपस्थित हुए हैं। सीमांकन में अनावेकगण की भूमि पर आवेदक का कब्जा नहीं पाया गया है । सीमांकन में किसी पड़ोसी कृषक द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उभय पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं ,और उनके मध्य वर्ष 1976 में बटवारा होकर अपने--अपने हिस्से पर काबिज है। उपरोक्त स्वीकारोक्ति से प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है कि दोनों पक्ष सीमांकन के पूर्व से ही अपने--अपने हिस्से पर काबिज हैं, और कोई विवाद नहीं है । आवेदक द्वारा निगरानी केवल अनावेदकगण को परेशान करने के उद्देय से प्रस्तुत की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की उपस्थिति में विधिवत् सीमा चिन्ह कायम कर सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक द्वारा सीमांकन के समय अथवा तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत किया जाना तहसीलदार के प्रकरण से परिलक्षित नहीं होता है, बल्कि पंचनामा में स्पष्ट उल्लेख है कि

उभय पक्ष नप्ती से संतुष्ट हैं । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश विधिवत् होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 10–6–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर